

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र सरली

प्रार्थीगण
1 श्री भीखाराम पुत्र नीम्बाराम 2
दीपाराम पुत्र निम्बाराम 3 रामाराम पुत्र
निम्बाराम 4 माडूदेवी पत्नी निम्बाराम 5
रावताराम पुत्र मोबताराम 6 कालुराम
पुत्र मोबताराम 7 अचलीदेवी पत्नी
मोबताराम जातियान जाट निवासीयान
लेगो का तला (सरली) तहसील एवं
जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 बलवन्तसिंह पुत्र सरूपसिंह 2
भाखरसिंह पुत्र महादानसिंह 3 शेरसिंह
पुत्र उम्मेदसिंह जातियान राजपूत
निवासीयान सरली 4 मगाराम पुत्र
मुकनाराम 5 मोटाराम पुत्र मुकनाराम 6
तगाराम पुत्र मुकनाराम 7 भोजाराम पुत्र
मुकनाराम 8 भूराराम पुत्र मुकनाराम 9
मोबताराम पुत्र पोलाराम 10 भूराराम पुत्र
पोलाराम 11 गोर्धनराम पुत्र भैराराम 12
लच्छाराम पुत्र करनाराम 13 अचलाराम
पुत्र भभुताराम 14 भीखाराम पुत्र
भारमलराम 15 धनीदेवी पत्नी भारमलराम
16 प्रभूराम पुत्र गुणेशाराम 17 देवाराम
पुत्र गुणेशाराम 18 वालीदेवी पत्नी
नरसिंगाराम 19 पेमाराम पुत्र नरसिंगाराम
20 जैसाराम पुत्र नरसिंगाराम जातियान
जाट निवासीयान लेगो का तला सरली
21 गिरधारीराम पुत्र उदाराम 22 भानाराम
पुत्र उदाराम 23 चुतराराम पुत्र उदाराम
24 वाली पत्नी उदाराम जातियान
मेघवाल निवासीयान लेगो का तला
सरली तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-155/2019 दिनांक-18.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लेगो का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील एवं जिला बाड़मेर
के खसरा नम्बर 952 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नंबर 953 रकबा 123.06 बीघा के चारो तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को
जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी
फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक
07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर
शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)

बाड़मेर

दिनांक- 18/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6062-6070
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री भीखाराम पुत्र नीम्बाराम वगैरह जातियान जाट निवासीयान लेगो का तला (सरली)
तहसील एवं जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण बलवन्तसिंह पुत्र सरूपसिंह वगैरह जातियान राजपूत/जाट/मेघवाल निवासीयान लेगो
की दाणी (सरली) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)

बाड़मेर